

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
रानी रानी लिट्टे दावा 65/18

25/2

आप पत्रावली पेश हुई बार-बार आपका  
डिलवने पर भी वाही व उनके वकील उपर नहीं  
सायं 5 बजे तक उपहार किया गया परन्तु वाही  
या उनके वकील उपर नहीं, जिससे जाहिर होता  
है कि वाही अपना डावा आगे चलाने में रुचिक  
नहीं है अतः वाही का डावा अदम दायरी अदम  
पैरवी में खारिज किया जाता है फावली फैसल  
सुमार होकर डायिल उभर है।

(सुरेश प्रसाद)  
हुक्म या कार्यवाही कारी  
द्वार (द. नु. २) राब ७